



Neutral Citation No. - 2026:AHC:57792

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट सी याचिका संख्या - 6956 वर्ष 2026

सर्तेंद्र कुमार पांडे

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अवनीश कुमार राय, समर्थ सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 36

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री समर्थ सिंह और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के विद्वान स्थायी अधिवक्ता की बात सुनी गई।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. यह याचिका प्रतिवादी संख्या 2 - जिला आपूर्ति अधिकारी, गाजीपुर के दिनांक 20.01.2026 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता के अपने दिवंगत भाई, स्वर्गीय हिरेंद्र कुमार पांडे के आश्रित के रूप में उचित मूल्य की दुकान के आवंटन के दावे को अस्वीकार कर दिया गया है।

3. मामले के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता के बड़े भाई, स्वर्गीय हिरेंद्र कुमार पांडे को वर्ष 1988 में उचित मूल्य की दुकान का डीलरशिप आवंटित किया गया था, जिसे वे याचिकाकर्ता की सहायता से 26.01.2025 को अपनी मृत्यु तक चलाते रहे। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने परिवार के मुखिया होने के नाते, दिनांक 05.08.2019 के सरकारी आदेश के खंड IV(10)(क) के तहत मौजूदा दुकान को अपने नाम आवंटित करने के लिए आवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनांक 24.04.2025 के अपने आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के इस दावे को खारिज कर दिया कि वह दिनांक 05.08.2019 के सरकारी आदेश के खंड IV(10) के तहत परिवार की परिभाषा में शामिल नहीं है। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2 के दिनांक 24.04.2025 के आदेश को इस न्यायालय के समक्ष रिट-सी संख्या 20463/2025 में चुनौती दी, जिसका निपटारा दिनांक 09.07.2025 को याचिकाकर्ता को सभी तथ्यों और आवश्यक दस्तावेजों के साथ नया आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देते हुए किया गया, और याचिकाकर्ता की पात्रता को ध्यान में रखते हुए दिनांक 05.08.2019 के सरकारी आदेश के मद्देनजर नया निर्णय लेने का निर्देश दिया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने दिनांक 11.09.2025 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के दावे को यह कहते हुए फिर से खारिज कर दिया कि वह सरकार द्वारा परिकल्पित परिवार की परिभाषा में नहीं आता है। दिनांक 05.08.2019 का आदेश। उक्त आदेश को इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 36901/2025 में चुनौती दी गई थी, जिसे दिनांक 29.10.2025 के निर्णय और आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया था,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 के दिनांक 24.04.2025 के आदेश को रद्द कर दिया गया था और उसे याचिकाकर्ता के दावे पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें सुनील कुमार यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (विविध एकल याचिका संख्या 13015/2020, दिनांक 03.09.2020) और आकांक्षा यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (रिट याचिका संख्या 1827/2024, दिनांक 21.03.2024) के मामलों में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों पर विचार किया गया था। दिनांक 29.10.2025 के निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेद संख्या 9 और 10 को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया गया है:-

“9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता मूल उचित मूल्य दुकान विक्रेता का आश्रित भाई होने के साथ-साथ मूल उचित मूल्य दुकान लाइसेंस धारक श्री हिरेंद्र कुमार पांडे का सह-लाइसेंसधारी भी था। चूंकि याचिकाकर्ता अविवाहित हिरेंद्र कुमार पांडे के साथ उचित मूल्य दुकान चला रहा था, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद याचिकाकर्ता परिवार का मुखिया और साथ ही उचित मूल्य दुकान का जीवित सह-विक्रेता बन गया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा जिन निर्णयों का हवाला दिया गया है, उन्हें रिट याचिका के साथ अनुलग्नक 16 के रूप में संलग्न किया गया है। ये निर्णय दिनांक 5.8.2019 के सरकारी आदेश के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पारित किए गए हैं। न्यायालयों ने परिवार की परिभाषा का विस्तार करते हुए पोते और सगी बहन को भी लाइसेंस धारक पर आश्रित परिवार के सदस्य के रूप में शामिल किया है।

10. प्रतिवादी संख्या 2 ने दिनांक 11.9.2025 के विवादित आदेश को पारित करते समय

यह निष्कर्ष दर्ज करने में विफल रहा है कि याचिकाकर्ता के दावे पर परिवार के मुखिया

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



होने के नाते विचार क्यों नहीं किया जा सकता, जैसा कि इस न्यायालय ने दिनांक 9.7.2025 को रिट याचिका संख्या 20463/2025 में पारित अपने निर्णय और आदेश में निर्देशित किया था। यह स्वीकृत तथ्य कि याचिकाकर्ता संयुक्त रूप से उचित मूल्य की दुकान चला रहा था, जैसा कि दिनांक 4.11.2006 के आदेश से स्पष्ट है, जिसे प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार करते समय ध्यान में नहीं रखा गया है।”

4. इस न्यायालय के दिनांक 29.10.2025 के निर्णय के अनुसरण में, प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने दिनांक 20.01.2026 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के दावे को पुनः अस्वीकार कर दिया है, यह देखते हुए कि भाई दिनांक 05.08.2019 के सरकारी आदेश के अंतर्गत परिवार की परिभाषा में नहीं आता है और ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत शारीरिक रूप से अक्षम आवंटन प्राप्तकर्ता की सहायता करने वाले भाई को उसकी मृत्यु के बाद उचित मूल्य की दुकान हस्तांतरित की जा सके। आगे यह भी पाया गया है कि याचिकाकर्ता अपने मृत भाई, जो उचित मूल्य की दुकान का मूल आवंटन प्राप्तकर्ता था, पर पूरी तरह से आश्रित नहीं था। इस प्रकार व्यथित होकर, याचिकाकर्ता दिनांक 20.01.2026 के आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान याचिका में पुनः इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है।

5. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 20.01.2026 के अपने आदेश में दर्ज किया गया निष्कर्ष, जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता अपने दिवंगत भाई, स्वर्गीय हिरेंद्र कुमार पांडे, जो मूल उचित मूल्य की दुकान के आबंटित थे, पर पूर्णतः आश्रित नहीं था, किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है, जबकि यह स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता अपने विकलांग भाई को उचित मूल्य की दुकान चलाने में सहायता कर रहा था और परिवार में सबसे

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बड़े जीवित सदस्य होने के नाते उसकी आय का कोई अन्य स्रोत नहीं था, और वह पूर्णतः अपने दिवंगत भाई पर आश्रित था। आगे यह तर्क दिया गया है कि पूरे आदेश में इस निष्कर्ष का कोई कारण नहीं बताया गया है कि याचिकाकर्ता अपने दिवंगत भाई पर आश्रित नहीं था। यह तर्क दिया गया है कि न्यायालय द्वारा दिनांक 29.10.2025 के आदेश में की गई टिप्पणी, जिसमें मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए वापस भेजा गया था, को संबंधित प्राधिकारी द्वारा नया आदेश पारित करते समय अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इस तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के एक समन्वय पीठ के फैसले का हवाला दिया है, जो श्रीमती कलावती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2017 (1) ए.डी.जे. 456 (एलबी) के मामले में दिया गया है। उपरोक्त फैसले के पैराग्राफ संख्या 22 का हवाला दिया गया है, जो इस प्रकार है:-

“22. एक बार जब किसी मामले पर नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश जारी कर दिया गया है, तो आदेश में की गई टिप्पणियों के आलोक में, उक्त टिप्पणी को संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनदेखा नहीं किया जा सकता है। उसे अपना आदेश न्यायालय की टिप्पणियों के अनुरूप ही देना होगा। उसे किसी ऐसे नए आधार पर दावे को खारिज करने का अधिकार नहीं है जिसका उल्लेख पहले के विवादित आदेश में नहीं किया गया था, और न्यायालय की टिप्पणियों को अनदेखा करना भी उचित नहीं है। प्राधिकारियों का इस प्रकार का रवैया न केवल जनता का बहुमूल्य समय बर्बाद करता है बल्कि जनता के खजाने को भी नुकसान पहुंचाता है। यदि कोई प्राधिकारी या व्यक्ति पाता है कि न्यायालय की टिप्पणी कानून के विपरीत और अनुचित है, तो राज्य/उसके पदाधिकारियों/पीड़ित व्यक्ति के लिए न्यायालय के आदेश/टिप्पणी को चुनौती देने का अधिकार हमेशा खुला है, ऐसी कार्यवाही का सहारा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लेकर। जो उसे उपलब्ध है, लेकिन न्यायालय के निर्देश का पालन करना होगा। इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने कमिशनर, कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड बनाम सी. मुद्देया, (2007) 7 एससीसी 689 के मामले में यह टिप्पणी की है:

“32. हमारा यह सुविचारित मत है कि एक बार सक्षम न्यायालय द्वारा कोई निर्देश जारी कर दिया जाए तो उसका बिना किसी संकोच के पालन और कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। यदि न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है या उसकी अनदेखी की जाती है, तो विधि का शासन समाप्त हो जाएगा। यदि किसी पक्ष को, जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश जारी किया गया है, कोई शिकायत है, तो उसके पास एकमात्र उपाय यह है कि वह विधि द्वारा ज्ञात उचित कार्यवाही के माध्यम से आदेश को चुनौती दे। लेकिन इस आधार पर निर्देशों का अनुपालन न करके इसे अप्रभावी नहीं बनाया जा सकता कि न्यायालय द्वारा ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किए जा सकते थे। हमारे विचार में, ऐसे तर्क को स्वीकार करने से अराजकता और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी और न्याय प्रशासन गंभीर रूप से प्रभावित और बाधित होगा। इसलिए, बोर्ड का तर्क निराधार है और इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए।

32. इस मामले को एक अन्य दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। यह सत्य है कि किसी पक्ष के पक्ष में राहत प्रदान करते समय, न्यायालय को कानून के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करना चाहिए और ऐसे प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्देश जारी करने चाहिए। हालांकि, ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, न्यायालय न्याय, निष्पक्षता और सद्भावना के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए न्याय के

व्यापक हित में आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है। एक ऐसे मामले पर विचार करें, जहां

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एक कर्मचारी के साथ स्पष्ट रूप से अन्याय हुआ है। इस तथ्य के बावजूद कि वह कुछ लाभों का हकदार है, उसे वे लाभ नहीं दिए गए हैं। उसकी अभ्यावेदनों को अवैध रूप से और अनुचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया है। वह अंततः एक न्यायालय का रुख करता है। न्यायालय को विश्वास है कि उसके साथ घोर अन्याय हुआ है और उसे गलत तरीके से, अनुचित रूप से और कुटिल इरादे से उन लाभों से वंचित किया गया है। न्यायालय, इन परिस्थितियों में, प्राधिकरण को निर्देश देता है कि वह उन सभी लाभों का विस्तार करे जो उसे प्राप्त होते यदि उसे अवैध रूप से उनसे वंचित न किया गया होता। क्या ऐसे मामले में अधिकारियों के लिए यह तर्क देना उचित है कि चूंकि उसने काम नहीं किया है (लेकिन उसे अवैध रूप से वंचित माना गया है), इसलिए उसे लाभ नहीं दिया जाना चाहिए? इस तरह के तर्क को स्वीकार करना किसी पक्ष को अपने ही अन्याय का अनुचित लाभ उठाने की अनुमति देने के समान होगा। यह पीड़ित व्यक्ति के साथ न्याय करने के बजाय अन्याय को बढ़ावा देगा।”

6. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 2 के दिनांक 20.01.2026 के आदेश का समर्थन किया है, लेकिन वे उक्त आदेश में प्रतिवादी संख्या 2 की किसी भी टिप्पणी को इंगित नहीं कर सके, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि याचिकाकर्ता अपने मृतक भाई पर आश्रित नहीं था।

7. मैंने पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. इस न्यायालय ने अपने दिनांक 29.10.2025 के आदेश द्वारा मामले को प्रतिवादी संख्या 2 को वापस भेज दिया था, याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने के लिए, मुख्यतः दो आधारों पर: पहला, उचित मूल्य की दुकान के मूल आबंटिती से संबद्ध होने के कारण, जो शारीरिक रूप से अक्षम थे, याचिकाकर्ता को उनकी मृत्यु के बाद दुकान का आवंटन किया जा सकता था, और दूसरा, परिवार के मुखिया होने के नाते, क्या वह अपने दिवंगत भाई द्वारा धारित उचित मूल्य की दुकान के आवंटन के लिए विचार किए जाने का हकदार है, सरकार के दिनांक 05.08.2019 के आदेश के मद्देनजर।

9. प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 20.01.2026 को पारित आदेश का अवलोकन करने पर, इस न्यायालय द्वारा अपने पूर्ववर्ती आदेश में संदर्भित निर्णयों पर विचार करने के बाद, और उचित मूल्य की दुकान के डीलर के शारीरिक रूप से अक्षम आवंटित व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली सहायता से संबंधित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने यह निष्कर्ष निकाला है कि उचित मूल्य की दुकान का हस्तांतरण ऐसे व्यक्ति के पक्ष में करने का कोई प्रावधान नहीं है, जिसे उचित मूल्य की दुकान के डीलर के सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है। विभिन्न सरकारी आदेशों का हवाला देते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि याचिकाकर्ता को कभी भी उचित मूल्य की दुकान में अपने भाई के साथ सह-डीलर के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था।

10. हालांकि, दिनांक 05.08.2019 के सरकारी आदेश के खंड IV(10)(क) के तहत याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करते हुए, प्रतिवादी संख्या 2 ने केवल यह टिप्पणी की है कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता पूर्णतः पूर्व आवंटन प्राप्तकर्ता, स्वर्गीय हिरेंद्र कुमार पांडे पर आश्रित नहीं था। यह निष्कर्ष किसी भी ठोस आधार पर नहीं है और इस बात का कोई कारण दर्ज नहीं किया गया है

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि याचिकाकर्ता को उसके दिवंगत भाई का आश्रित क्यों नहीं माना जा सकता, जबकि वह वास्तव में अपने भाई की उचित मूल्य की दुकान चला रहा था, जो कि सर्वविदित रूप से विकलांग था। हालांकि, दिनांक 05.08.2019 के सरकारी आदेश के खंड IV(10)(क) के तहत अनुकंपा के आधार पर उचित मूल्य की दुकान के आवंटन के लिए याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार करते समय प्रतिवादी संख्या 2 ने याचिकाकर्ता की अपने दिवंगत भाई पर आंशिक निर्भरता को भी स्पष्ट नहीं किया है।

11. उपरोक्त के मद्देनजर, प्रतिवादी संख्या 2 का दिनांक 20.01.2026 का आदेश, याचिकाकर्ता के दावे को इस आधार पर अस्वीकार करने के कारणों से रहित है कि उसके दावे पर सरकार के दिनांक 05.08.2019 के आदेश के खंड IV(10)(Ka) के तहत विचार क्यों नहीं किया जा सकता, इसलिए यह आदेश अस्थिर है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए।

12. तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 20.01.2026 को पारित आदेश रद्द किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 2 को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता के अनुकंपा के आधार पर उचित मूल्य की दुकान के आवंटन के दावे के संबंध में उसके आवेदन पर नए सिरे से निर्णय ले, जो पहले उसके दिवंगत भाई को दिनांक 05.08.2019 के सरकारी आदेश के खंड IV(10)(क) के प्रावधानों के तहत परिवार के मुखिया होने के नाते आवंटित की गई थी। उपरोक्त प्रक्रिया इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से एक माह के भीतर पूरी की जाएगी।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



20 मार्च 2026

अशोक कुमार

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।